

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
O.A. No.47/2025

IN THE MATTER OF:

Ambikesh Diwedi

Applicant(s)

VS

State of MP & Ors.

Respondent(s)

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1	Joint Committee Report vide order dated 28.04.2025		<u>1-65</u>
2	Proof of Service		<u>66</u>

Place: BHOPAL

FILED BY MPPCB

Bhopal Date: 26.06.2025



ADV PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

JOINT COMMITTEE REPORT
FOR FACTUAL & ACTION TAKEN STEPS

[Joint Committee constituted by
Hon'ble NGT vide its order dated 28.04.2025 in
OA No. 47/2025 (CZ)]

Ambikesh Dwivedi Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

Date of Inspection: -10.06.2025

By

Joint Committee Members

1. *Mr. Akhilesh Kumar Singh, Sub Divisional Officer (Revenue), Deosar, District-Singrauli (M.P.) [Representative of Collector]*
2. *Miss Akanksha Patel, Mining Officer, Mining Department, Collector Office, Singrauli (M.P.) [Representative of Collector]*
3. *Mr. Sanjeev Kumar Mehra, Regional Officer, MPPCB, Singrauli (M.P.) [Representative of MP Pollution Control Board] [as nodal officer]*

Documents Enclosure Table: -

S. No.	Name of the Document	Annexures
01	Copy of Hon'ble NGT Order dated 28.04.2025	<i>Annexure-1</i>
02	Copy of Note sheet Related regarding nomination on behalf of the Collector, Singrauli, for joint inspection	<i>Annexure-2</i>
03	Nomination of Regional Officer, MPPCB, Singrauli by Member Secretary, MPPCB, Bhopal	<i>Annexure-3</i>
04	Mining Lease documents issued by Madhya Pradesh Mineral Resources Department, Bhopal	<i>Annexure-4</i>
05	Tahrav Prastav Passed by Gram Sabha, Jiyawan, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (M.P.)	<i>Annexure-5</i>
06	Environmental Clearance issued by SEIAA	<i>Annexure-6</i>
07	Mining Plan approved by Director of Geology and Mining	<i>Annexure-7</i>
08	Consent to Operate issued by MP Pollution Control Board, Singrauli	<i>Annexure-8</i>
09	Details of Sand mine excavation/Transit Permit	<i>Annexure-9</i>
10	Panchnama & Attendance Sheet of Joint Committee Inspection on dated 10.06.2025	<i>Annexure-10</i> (A) & (B)
11	Attendance of officers/employees from the concerned departments [present during the visit of the Joint Committee on dated 10.06.2025]	<i>Annexure-11</i>
12	Photographs of the fish species observed during the inspection	<i>Annexure-12</i>
13	Photographs during the time of joint inspection	<i>Annexure-13</i>

JOINT COMMITTEE REPORT
FOR FACTUAL & ACTION TAKEN STEPS

[Joint Committee constituted by
Hon'ble NGT vide its order dated 28.04.2025 in
OA No. 47/2025 (CZ)]

Ambikesh Dwivedi Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal has passed an order dated 28.04.2025 in Application No. 47/2025. The operative portion of the directions contained in the said order pertains to the constitution of a Joint Committee and the duties assigned to it. The relevant directions are summarized as follows:

"The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State Pollution Control Board will be Nodal agency for coordination and logistic support."

Accordingly, committee members are deputed to inspect the site.

1. District Collector has nominated SDM, Deosar as his representative by Note sheet on dated 02.06.2025 [**Annexure-2**]
2. District Collector has nominated District Mining Officer as his representative by Note sheet on dated 02.06.2025 [**Annexure-2**]
3. Member Secretary, MPPCB has nominated Regional Officer, MPPCB as his representative of MPPCB by letter No. 1471 Dated 08.05.2025 [**Annexure-3**]

Above official Orders related to nomination of representative of Collector, Singrauli and MPPCB are enclosed as specified above.

The following officers/employees from the concerned departments were also present during the visit of the Joint Committee:

S.No.	Name of Officer/Employee	Post/Designation	Department
1	Dr. Vidyakant Tiwari	Assistant Mining Officer	Mining
2	Mr. Kapilmuni Shukla	Assistant Mining Officer	Mining
3	Mr. Pradeep Singh	Nayab Tehsildar	Revenue
4	Mr. Santosh Kori	CDEO	MPPCB
5	Mr. Roshan lal	Sipahi	MPHG
6	Mr. Ram Singh	Sipahi	MPHG
7	Mr. Kunjbihari Singh	Sipahi	MPHG
8	Mr. Brijendra Pandey	Sipahi	MPHG

**Statutory Clearance
obtained by MPSMC for Jiyawan Mine**

S. No.	Name of Mine Rakba & Khasra	Mining lease order no. dated	Environmental Clearance by SEIAA, Order No. EC-23B001 MP 116755	CTO issued by MPPCB
1	Jiyawan sand mine Rakba 4.00 hect., Khasra No. 01, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (M.P.)	Mineral resources Department, MPGOV Order no. F-19-2-2019-Barah-1-Part-6, Dated 31.05.2023 written collector Singrauli to	EC No 23B001 MP 116755 Dated 04.10.2023	14102 Dated 12.10.2023 (AW-116518)

Overview: -

Mineral Resources Department of M.P. Government has made provision to allot mines to Madhya Pradesh State Mining Corporation as per rule 5(4) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transport, Storage and Trade) rule 2019 for 10 years as per amendment of notification no. 165 dated 26.05.2023. In the context of the above amendment as per rule 66 of Madhya Pradesh State Minor Mineral Rule 1996, State Government has sanctioned mine on Khasra No. 01 having Rakba 4.00 hectare of village Jiyawan for mining lease period of 10 years from date of agreement.

Jiyawan mine is located on Khasra No. 01, Village Jiyawan, Tehsil Deosar, covering an area of 4.00 hectares. It is pertinent to mention that illegal mining is reportedly being carried out in the same village/area/river by the applicant, despite the existence of a legally authorized mine in the said location.

About the Singrauli District:

Singrauli district, known as the "Energy Capital of India," is located in Madhya Pradesh and is rich in mineral resources, particularly coal, making it a significant hub for energy production.

Singrauli district is situated in the north eastern part of Madhya Pradesh, bordered by the Rewa and Sidhi districts to the north, Uttar Pradesh to the east, Sarguja to the south, and Shahdol to the west. The district covers an area of approximately 567,200 hectares.

Established as a district on **May 24, 2008**, Singrauli was formed by dividing the eastern part of the Sidhi district and includes areas from the adjoining Sone Bhadra district in Uttar Pradesh. Historically, it was part of the princely state of Rewa and has a rich cultural heritage, including ancient rock-cut caves dating back to the 7th and 8th centuries AD.

In summary, Singrauli district is a vital region in Madhya Pradesh, known for its energy production, rich history, and diverse culture, making it an important area both economically and historically in India.

About the Village-Jiyawan:-

Jiyawan is a village located in Deosar Tehsil of Singrauli District in the state of Madhya Pradesh. It lies approximately 46 kilometres west of the district headquarters, Singrauli, and around 596 kilometres from the state capital, Bhopal. Jiyawan is bordered by Sihawal Tehsil and Chitrangi Tehsil to the north, and Waidhan Tehsil to the east. Nearby cities include Singrauli, Sidhi, Mauganj, and Obra.

The total population of Jiyawan village is approximately 5,508, with around 1,100 females, making the female population 47.8% of the total. The overall literacy rate of the village is 50.1%, while the female literacy rate stands at about 19.9%.

The Mahan River flows along one side of the village, and a road bridge has been constructed over it on National Highway 39 (NH-39). The Jiyawan Sand Mine is situated approximately 800 meters from this road bridge.

Mine are classified into these category namely large scale (more than 25 hectare), medium scale (more than 5 hectare) and small scale (upto 5 hectare). Impact of small scale mine is comparatively less in comparison to large scale & medium scale mine. Being mining lease area of 4 hectare, Jiyawan sand mine comes small scale category.

Gram Panchayat Jiyawan has Passed "Gram Sabha Tahrav Prastav" for sand mining to Jiyawan sand mine, based on the unanimous consensus reached during the gram Sabha meeting held on 26.01.2018. In accordance with the Madhya Pradesh sand (Mining, Transport, Storage and Trade) Rule 2019, and under the applicable sand mining policy, the mine has obtained required statutory permissions, including the approval of the mining plan from the Mining Department, Environmental Clearance from the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and Consent to Operate from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

Environmental Clearance is issued by SEIAA based on the recommendation of high-level expert advisory committee SEAC (State Level Expert Appraisal Committee).

Factual reports wrt allegations raised by Petitioner:-

S.No.	Allegations	Observations
1	Adverse effect on ecosystem/flora and fauna.	During the inspection, normal aquatic and riparian vegetation was observed in the Mahan River. Both flora and fauna were found on the river bed as well as along the riverbanks. Species such as Balm, Bilhur, Biludh, Ghushni, and Chinga (Eel) were noted in the portion of the Mahan River where the Jiyawan Sand Mine is located. The inspection committee also observed some village boys fishing in the river, who informed the committee about the presence of snakes and frogs in that area. Additionally, a variety of birds—including Bagula (Heron), Titihari (Red-Wattled Lapwing), Sparrows, and Pondhki—were seen freely moving, chirping, and foraging around the sand mine area. Vegetation growth was also evident along the riverbanks. Photographs of the fish species observed during the inspection are attached herewith as [Annexure-12]. District administration is always issue prohibitory order against operation of mine during mansoon season every year to take care of Flora & Fauna in streams. Last year also was done and in this year 2025, issued before onset of mansoon.
2	Illegal Mining	During the inspection no evidence of illegal mining was observed in Mahan River. The Jiyawan Sand Mine is being operated with necessary statutory and official permissions obtained by the Madhya Pradesh State Mining Department. Sand excavation is being carried out by MPSC through

		Sahkar Global Sand Minor, with quantities of 48,000 MT in the year 2023, 48,000 MT in 2024, and 48,000 MT in 2025. No heavy earth-moving machinery was observed at the site during the inspection.
3	Depletion of Ground Water.	Committee observed several Hand Pumps and Wells in Jiyawan Village and found them functional consistent with the trend observed in neighboring villages.
4	Damage of RCC made Road Bridge.	No visible or apparent damage was observed on the road bridge. Additionally, no ditches (typically created due to mining activities) are found existing area. The mining lease area is located approximately 800 meters from Road Bridge, therefore, the possibility of any adverse impact on the bridge due to sand mining operations does not exist.
5	Obstruction/hindrance in flow of river	During inspection, committee has not seen any obstruction/hindrance in flow of river. River water is flowing in uninterrupted manner. Excavated dry sand is found unloaded at one side of river bed, Separately from main stream of river Mahan.
6	Pollution in Mahan river water	Excavation of sand neither chemical process (any mixing of chemical) nor mechanical process (reduction of size), so possibilities of significant contamination in water is very minimal. River bed is visible in some portion of Mahan River indicate turbidity and suspended particles within permissible limit. Water appears very similar in sand mine area as appear upstream of Mahan river wrt Jiyawan mine.

		<p>Committee had detailed discussion with villagers. They informed that MDO/Contractor of Jiyawan sand mine is providing employment to local people upto possible extend. Whenever required, villagers getting sand on subsided/reduced rate by MDO/Contractor.</p>
--	--	---

Conclusion:-

Mining lease holder has got necessary permission and valid approval from competent authorities from competent authorities. It is found evident that matter raised in the complaint are mostly untrue, not based upon the facts. Many points mentioned in the complaint are very frivolous and exaggerated in nature. Presently, mining activities in this district including Jiyawan sand mine is very much likely to be stopped/closed since about 01.07.2025 to 30.09.2025 for three month and could not be possible due to mansoon season. Hence complaint seem to be non relevant in present context.



(Sanjeev Mehra)
Regional Officer
(OIC 47/2025)
M.P. Pollution Control Board
District – Singrauli (M.P.)



Akanksha Patel
Mining Officer
[Representative of
Collector]
District – Singrauli (M.P.)



Akhilesh Singh
SDM, Deosar
[Representative of
Collector]
District – Singrauli (M.P.)

Item No.3

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No. 47/2025(CZ)

Ambikesh Diwedi

Applicant (s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: 28.04.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s):

Mr. Shariq Choudhary, Adv.
Mr. Aadil Choudhry, Adv.
Mr. Tariq Siddqhi, Adv.
Mr. Fahad Quresh, Adv.

For Respondent(s):

ORDER

1. The grievance of the applicant is illegal sand mining in Mahan Nadi river flowing near Jiywan village, District Singrauli (M.P.). It is alleged that sand is being illegally excavated day and night through the machines, due to which the natural structure and womb of the river is being completely destroyed. Respondent no. 1 is illegally mining sand by placing a Pokelain, excavator machine in the middle of the river and is violating the guidelines issued by the tribunal regarding sand excavation from rivers. On the other hand respondent no. 2 to unlawfully extract sand beneath the pillars of the Mahanadi bridge, in violation of the mining rules and regulations set forth by the Ministry of Environment and Forest. This indiscriminate mining is also

affecting or killing the species living in the river like Turtles, Crabs, water snakes, water hens, birds like cranes, gulls, padkis and fishes, prawns living on the banks of the river and in the water are being killed by the noise and operation of these heavy machines. These machines are not only illegally extracting sand, but are also destroying the ecosystem of the river. That earlier there was a living species in the river, but now it is becoming to end. The second major impact of mining is the disruption to the flow of river water. The Mahan river which serves as the lifeline for surrounding villages, has significantly diminished. As a result, the water sources such as wells, ponds, puddles, hand pumps and tube wells in the villages along the riverbank are frying up. This water scarcity is directly affecting agriculture and daily needs. The community is justifiable concerned that if this trend continues, as well face a looming crisis of drinking water in the near future.

2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- (i) One Representative from the District Collector, Singrauli (M.P.)
- (ii) One Representative from State Pollution Control Board (M.P.)

6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.
8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **28th July, 2025.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A Senthil Vel, EM

28th April 2025
O. A No. 47/2025(CZ)
K

शाखा NGT/ROSGRL

क्रमांक 01

ANNEXURE:-2

विषय NGT 47/2025

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली (म.प्र.)



उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच, भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/2025 (अंबिकेश द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 28.04.2025 को पारित आदेश में जिला प्रशासन, सिंगरौली एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति गठित कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन 06 सप्ताह की समयावधि में अर्थात् दिनांक 10.06.2025 तक माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय एन.जी.टी. के आदेश की प्रति सुलभ अवलोकनाथ फ्लैग "ए" पर रखी गई है।

अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन, सिंगरौली के प्रतिनिधि के रूप में यथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा अन्य किसी उपयुक्त अधिकारी को नामांकित किया जाना प्रस्तावित है। आदेशार्थ प्रस्तुत।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय/-

जिला-सिंगरौली

(संजीव कुमार मेहरा)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सिंगरौली (म.प्र.)

एन.जी.टी. के आदेश के अंतर्गत सिंगरौली क्षेत्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला दण्डाधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त
समिति गठित करें।

४

2/6/2025

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेर कॉलोनी, भोपाल-462016

Fax No : +91-755-2463742 E-mail : lt_mppcb@rediffmail.com

कमांक 1471 /विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/2025
प्रति

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय
सिंगरौली।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच के प्रकरण कमांक 47/2025(CZ) (अंबिकेश द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 47/2025(CZ) के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2025 पारित आदेश का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

"The grievance of the applicant is illegal sand mining in Mahan Nadi river flowing near Jiywan village, District Singrauli (M.P.). It is alleged that sand is being illegally excavated day and night through the machines, due to which the natural structure and womb of the river is being completely destroyed. Respondent no. 1. is illegally mining sand by placing a Pokelain, excavator machine in the middle of the river and is violating the guidelines issued by the tribunal regarding sand excavation from rivers. On the other hand respondent no. 2 to unlawfully extract sand beneath the pillars of the Mahanadi bridge, in violation of the mining rules and regulations set forth by the Ministry of Environment and Forest. This indiscriminate mining is also affecting or killing the species living in the river like Turtles, Crabs, water snakes, water hens, birds like cranes, gulls, padkis and fishes, prawns living on the banks of the river and in the water are being killed by the noise and operation of these heavy machines. These machines are not only illegally extracting sand, but are also destroying the ecosystem of the river. That earlier there was a living species in the river, but now it is becoming to end. The second major impact of mining is the disruption to the flow of river water. The Mahan river which serves as the lifeline for surrounding villages, has significantly diminished. As a result, the water sources such as wells, ponds, puddles, hand pumps and tube wells in the villages along the riverbank are frying up. This water scarcity is directly affecting agriculture and daily needs. The community is justifiable concerned that if this trend continues, as well face a looming crisis of drinking water in the near future.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- (i) One Representative from the District Collector, Singrauli (M.P.)
- (ii) One Representative from State Pollution Control Board (M.P.)

The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtcbhbho-mp@gov.in

उक्त आदेशानुसार, गठित समिति को 06 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।




मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेर कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : R_mppcb@rediffmail.com

अतः आपके कार्यालय से एक अधिकारी को समिति के सदस्य हेतु नामंकित किये जाने का अनुरोध है। बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, सिंगरौली को समिति का सदस्य व प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। जिसका मोबाईल नं. 9893074407 है। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 28.07.2025 को नियत है।

संलग्न :- एनजीटी आदेश।


(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

✓ क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली की ओर आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि से एक सप्ताह पूर्व तथ्यात्मक एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

म.प्र. शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक - एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6

भोपाल दिनांक - 31.05.2023

प्रति

कलेक्टर,
जिला - समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में रेत खदानों के उत्खनिपट्टा स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 26/05/2023.

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 26/05/2023 से मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 5(4) के तहत मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को रेत खनिज के उत्खनिपट्टा 10 वर्षों के लिए आवंटित किये जाने का प्रावधान है।


उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा समग्र विचारोपरांत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 66 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित की गई रेत खदानों को अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए, निम्न शर्तों के अधीन, उत्खनिपट्टे पर स्वीकृत किया जाता है :-

- (1) म.प्र. राज्य खनिज निगम तीन माह के अंदर संलग्न सूची अनुसार रेत खदानों हेतु प्ररूप 'सात' में पट्टा विलेख का निष्पादन जिलावार समूह में करायेगा।
- (2) म.प्र. राज्य खनिज निगम, पट्टा विलेख को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा।
- (3) भविष्य में घोषित रेत खदानों हेतु जिलावार पूरक अनुबंध निष्पादित करायेगा।
- (4) म.प्र. राज्य खनिज निगम, द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर, आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

- (5) रेत समूह की ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया एवं इन नियमों के अधीन प्राप्त संपूर्ण राशि निगम द्वारा संधारित खाते में जमा कराई जायेगी और तत्पश्चात् प्रतिमाह निगम प्राप्त राशि मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 21 में विहित प्रक्रिया के तहत अंतरण कराया जाएगा।

सलग्न - जिलावार रेत खदानों की सूची।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रकाश पन्डे)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज सधन विभाग

पृ. क्रमांक - F 19-2/2019/12/1/48-6

भोपाल दिनांक - 31.05.2023

प्रतिलिपि -

- (1) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
- (2) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(प्रकाश पन्डे)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज सधन विभाग

क्रमांक	संभाग	ज़िला
1	2	3
1	रीवा	सीधी
		सिंगरीली
2	जबलपुर	मंडला
		डिन्डोरी
		नरसिंहपुर
		सिवनी
		जबलपुर
		बालाघाट
		कटनी
3	ग्वालियर	ग्वालियर
		अशोकनगर
		दतिया
		गुना
4	चंबल	मुंजा
		श्रयोपुर
		भिंड
5	नर्मदापुरम	बैतूल
6	इंदौर	खरगौन
		अलीराजपुर
		बड़वानी
7	शहडोल	अनूपपुर
		उमरिया
		शहडोल
8	भोपाल	भोपाल
		रायसेन
		विदिशा
		राजगढ़
		सीहोर
9	सागर	दमोह
		पन्ना
		टीकमगढ़
		छतरपुर
10	उज्जैन	आगर मालवा
		मन्दसौर
		रतलाम
		उज्जैन
		देवास
		शाजापुर

A. Land Possession Document - Mining Lease Agreement - Uploaded in XGN on 06/10/2023 11:37:10 From IP No: 49.36.19.12
 B. 157992- m.P State Mining Corporation Ltd (Jiawan Sand Quarry 4.0 Ha) accepts the LEGAL responsibility
 and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1737/खनिज/रेत/नीलाम/2023

सिंगरौली, दिनांक 22/05/23

प्रति,

संचालक,
प्रशासन एवं खनिकर्म
29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- जिले में रेत खदानों की आगामी नीलामी हेतु प्रस्तावित रेत खदानों का समूह बनाये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) का ज्ञाप क्रमांक 5965/गुप-3/न.क्र./2023 भोपाल दिनांक 18.05.2023।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित निर्देशानुसार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भण्डारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 5(3) में विहित प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर ई-निविदा हेतु रेत खदानों का समूह तैयार कर समूहवार सूची संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी
(खनि शाखा)

(जिला सिंगरौली (म.प्र.))

सिंगरौली, दिनांक 22/05/23

पु.क्रमांक/1738/खनिज/रेत/नीलाम/2023

प्रतिलिपि,

01- प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य खनिज निगम भोपाल (म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी

(खनि शाखा)

जिला सिंगरौली (म.प्र.)

जिला सिंगरौली अन्तर्गत ई-निविदा हेतु खनिज रेत की समूहवार सूची

क्र.	जिले का नाम	तहसील	ग्राम पंचा./नगरीय निकाय का नाम	खदान का नाम/ग्राम	ख.क्र.	रकबा (हे.मी)	मात्रा (घ.मी.) (माइनिंग प्लान अनुसार)	नदी का नाम	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समूह "ए"									
1	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत कटौली	कटौली-1	2502	4.10	43848.00	मयार	-
2	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत कटौली	कटौली-2	2490	3.00	34790.00	मयार	-
3	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत खजुरी	खजुरी	1880	4.00	43680.00	मयार	-
4	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत बसौड़ा	बसौड़ा-1	78	4.00	45000.00	मयार	-
5	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत बसौड़ा	बसौड़ा-3	78	4.00	45000.00	मयार	-
6	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत सितूलखुर्द	नौढ़िया	450	4.00	43637.00	लौआ	-
7	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत सितूलखुर्द	नौढ़िया-2	522	4.00	42816.00	मयार	-
8	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत चांचर	चांचर	43	3.20	36000.00	मयार	-
9	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत चांचर	चांचर-2	1	2.00	18870.00	मयार	-
10	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत जरहा	जरहों	1935/1	2.00	21176.00	मयार	-
11	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत हरहवा	हरहवा-1 (रिहन्द जलाशय)	412	4.00	72000.00	रेण	रिहन्द जलाशय जिला सोनमद (ख.प्र.) का दूब क्षेत्र)
12	सिंगरौली	सिंगरौली	ग्राम पंचायत हरहवा	हरहवा-2 (रिहन्द जलाशय)	412	4.00	72000.00	रेण	रिहन्द जलाशय जिला सोनमद (ख.प्र.) का दूब क्षेत्र)
<p>A. Land Possession Documents / Mining Documents in XGN on 06/07/2023 11:37:10 from APDNo: 49.3628000.00</p> <p>B. 157992- m P. State Mining Corporation Ltd. (Liawan Sand Quarry 4.0 Ha) (रिहन्द जलाशय) (R.GAL.responsibility)</p> <p>and undertake that the furnished information is CORRECT & ACCURATE</p>									
			ग्राम पंचायत हरहवा	हरहवा-4 (रिहन्द जलाशय)	413	5.00	90000.00	रेण	रिहन्द जलाशय जिला सोनमद (ख.प्र.) का दूब क्षेत्र)

15	सिंगरौली	ग्राम पंचायत पिपराकुरन्द	पिपराकुरन्द-1 (सिहन्द जलाशय)	1	4.00	69300.00	रेण	सिहन्द जलाशय जिला सोनगढ (उ.प्र.) का दूब क्षेत्र)
16	सिंगरौली	ग्राम पंचायत पिपराकुरन्द	पिपराकुरन्द-2 (सिहन्द जलाशय)	1	4.00	69300.00	रेण	सिहन्द जलाशय जिला सोनगढ (उ.प्र.) का दूब क्षेत्र)
17	सिंगरौली	ग्राम पंचायत करौटी	औरगाँई-1 (सिहन्द जलाशय)	1	4.00	72000.00	रेण	सिहन्द जलाशय जिला सोनगढ (उ.प्र.) का दूब क्षेत्र)
18	सिंगरौली	ग्राम पंचायत करौटी	औरगाँई-2 (सिहन्द जलाशय)	1	4.00	72000.00	रेण	सिहन्द जलाशय जिला सोनगढ (उ.प्र.) का दूब क्षेत्र)
19	सिंगरौली	ग्राम पंचायत पिपराकुरन्द	काव्दोपानी (सिहन्द जलाशय)	1	4.00	72000.00	रेण	सिहन्द जलाशय जिला सोनगढ (उ.प्र.) का दूब क्षेत्र)
		योग :-				1035417.00		


 प्रमारी अधिकारी
 (खनि शाखा)
 जिला सिंगरौली (म.प्र.)

A. Land Possession Documents / Mining Lease Agreement Uploaded in XGN on 06/10/2023 11:37:10 from IP No: 49.36.19.12.
 B. 157992- m.P State Mining Corporation Ltd (Jiawan Sand Quarry 4.0 Ha) accepts the LEGAL responsibility
 and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

16	माडा	ग्राम पंचायत रजमिलान	रजमिलान	1706	2.50	28548.00	गर्स	-
17	माडा	ग्राम पंचायत रजमिलान	रजमिलान-2	1706	4.00	41880.00	गर्स	-
18	माडा	ग्राम पंचायत रैला	रैला	1370	3.46	37746.00	गर्स	-
19	माडा	ग्राम पंचायत रैला	रैला-2	606	2.00	18186.00	गर्स	-
20	माडा	ग्राम पंचा. कोयलखूंथ	कोयलखूंथ	892	2.00	22882.00	मयार	-
21	माडा	ग्राम पंचायत भुडकुड	रम्या	1030	4.00	43382.00	मयार	-
22	माडा	ग्राम पंचायत अमिलवान	अमिलवान	303	2.90	27402.00	लीआ	-
23	माडा	ग्राम पंचायत कर्सुआराजा	कर्सुआराजा	752	1.00	7446.00	गर्स	-
		योग :-				970963.00		

सिंगरौली


 प्रमारी अधिकारी
 (खनि शाखा)
 जे.ए. सिंगरौली (म.प्र.)

A. Land Possession Documents / Mining Lease Agreement Uploaded in XGN on 06/10/2023 11:37:10 from IP No: 49.36.19.12.
 B. 157992- m.P State Mining Corporation Ltd (Jiawan Sand Quarry 4.0 Ha) accepts the LEGAL responsibility
 and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.



दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

क्रमांक-रेत/2023-24/नस्ती क्र.315/198 दिनांक : 07/06/2023
प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण(SEIAA),
मध्यप्रदेश, भोपाल।


विषय :- म0प्र0 राज्य खनिज निगम के पक्ष में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

—0—

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 भोपाल, दिनांक 31.05.2023 के तहत राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित की गई रेत खदानों को 10 वर्ष की अवधि के लिए निगम के पक्ष में उत्खनिपट्टे पर स्वीकृत किया है। जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रदेश के 38 जिलों में घोषित रेत खदानों की सूची संलग्न की जा रही है (परिशिष्ट-2)। शेष जिलों की जानकारी पृथक से प्रेषित की जावेगी। तदानुसार कृपया इस बावत आपके कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी EDS की पूर्ति मान्य करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(अतुल शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

.....2

पृ0क्रमांक-रेत / 2023-24 / नस्ती क्र.315 / 199 दिनांक : 07 / 06 / 2023

प्रतिलिपि :-

- 1/ संचालक महोदय, प्रशासन तथा खनिकर्म, म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला खनि अधिकारी (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 3/ निगम द्वारा चयनित पर्यावरण कंसलटेन्ट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

1



दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755-2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आशय-पत्र

क्रमांक : रेत/सिंगरौली/2023/1289
प्रति,

दिनांक :- 8-1-24

मेसर्स/श्री सहकार ग्लोबल लिमिटेड,
ऑफिस नं० 503, 5वीं मंजिल, वास्तु प्रेस्टीज, न्यू लिंक रोड,
ऊपर तनिष्क शोरूम, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400053

विषय :- रेत खदानों के समूह सिंगरौली में सम्मिलित रेत खदानों से रेत खनन एवं
विक्रय हेतु माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम०डी०ओ०) की नियुक्ति बाबत आशय-पत्र।

-0-

- 1/ म०प्र० रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 8 के अंतर्गत रेत खदानों के समूह सिंगरौली में सम्मिलित खदानों (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) से रेत खनन एवं विक्रय हेतु निगम द्वारा ई- निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम०डी०ओ० की नियुक्ति बाबत निविदा सूचना रेत/निविदा/2023/959 दिनांक 27-09-2023 को प्रकाशित की गई थी ।
- 2/ एम०एस०टी०सी० के माध्यम से संपादित ई -निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया में रेत खदानों के समूह सिंगरौली में मेसर्स/श्री सहकार ग्लोबल लिमिटेड, से उच्चतम ऑफर राशि रु० 62,35,54,999/- प्राप्त किए जाने के कारण उन्हें सफल निविदाकार घोषित करते हुए उन्हें पत्र क्रमांक रेत/न.क्र./ 2023/1176 दिनांक 18-12-2023 के माध्यम से उच्चतम प्राप्त निविदा राशि की 25 प्रतिशत राशि 15,58,88,750/- प्रथम माह की किश्त राशि रु० 6,23,55,500/-, कुल राशि रु० 21,82,44,250/- जमा करने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसके विरुद्ध सफल निविदाकार द्वारा कुल राशि 21,82,44,250/-निगम के निर्दिष्ट खाते में जमा की गई ।
- 3/ तदनुसार मेसर्स/श्री सहकार ग्लोबल लिमिटेड को रेत खदानों के समूह सिंगरौली में सम्मिलित खदानों से उत्खनन एवं विक्रय तथा उक्त पर लागू समस्त नियमों का परिपालन करने हेतु एम०डी०ओ० नियुक्त किए जाने बाबत आशय-पत्र जारी किया जाता है ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

//2//

उपरोक्त के संबंध में मृत्यु संलग्न प्रारूप में नियम 13 (2) के अंतर्गत इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा अनुगत रोगा लक्ष ही खनन किया जायेगा एवं नियम 14 के उप नियम (2) अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप एवं अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


प्रबंध संचालक

दिनांक :- 08-01-24

पृ. रेत/सिंगरौली/2023/1290

प्रतिलिपि :-

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म0प्र0 राज्य खनिज निगम लि0 भोपाल को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल।
3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (वि./ले.), मुख्य कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. खनिज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला सिंगरौली।
7. प्रभारी अधिकारी, म0प्र0 राज्य खनिज निगम लि0, संभागीय कार्यालय रीवा।
8. जिला प्रभारी, म0प्र0 राज्य खनिज निगम लि0, सिंगरौली।


प्रबंध संचालक

दि नध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

ई -निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला- सिंगरौली


क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5	6
1	सिंगरौली	चितरंगी	रेही	54	6.000
2	सिंगरौली	चितरंगी	खम्ह कला	430	4.000
3	सिंगरौली	देवसर	जगहट	53	5.000
4	सिंगरौली	देवसर	मजौना	602	5.000
5	सिंगरौली	देवसर	जियावन	1	4.000
6	सिंगरौली	देवसर	कारी	91	4.000
7	सिंगरौली	देवसर	चकुआर	135/219	2.000
8	सिंगरौली	देवसर	तिनगुडी	84	1.000
9	सिंगरौली	देवसर	ढोंगा	974	1.500
10	सिंगरौली	देवसर	तलवा	118	3.000
11	सिंगरौली	माडा	रजमितान-2	1706	4.000
12	सिंगरौली	माडा	रैला	1370	3.460
13	सिंगरौली	माडा	रजमितान	1706	2.500
14	सिंगरौली	माडा	अमितवान	303	2.900
15	सिंगरौली	माडा	कोयलखूंथ	892	2.000
16	सिंगरौली	माडा	रैला-2	606	2.000
17	सिंगरौली	माडा	करुआराजा	752	1.000
18	सिंगरौली	माडा	भुडकुड-1	1536	4.000
19	सिंगरौली	माडा	रम्पा	1030	4.000
20	सिंगरौली	माडा	भुडकुड-2	1536	4.000
21	सिंगरौली	सरई	भरसैडी	3278	4.900
22	सिंगरौली	सरई	हर्दी	471	4.000
23	सिंगरौली	सरई	निगरी	186	2.000
24	सिंगरौली	सिंगरौली	बराँडा-1	78	4.000
25	सिंगरौली	सिंगरौली	बराँडा-3	78	4.000
26	सिंगरौली	सिंगरौली	नींदिया-2	522	4.000
27	सिंगरौली	सिंगरौली	नींदिया	450	4.000
28	सिंगरौली	सिंगरौली	चांघर	43	3.200
29	सिंगरौली	सिंगरौली	जरहा	1935/1	2.000
30	सिंगरौली	सिंगरौली	चांघर-2	1	2.000
31	सिंगरौली	सिंगरौली	हरहवा-1	412	4.000
32	सिंगरौली	सिंगरौली	हरहवा-2	412	4.000
33	सिंगरौली	सिंगरौली	कान्दोपानी	1	4.000
34	सिंगरौली	सिंगरौली	कटौली-1	2502	4.100

MS WORD/Sand. Ashay Patra/23/169

मि. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

35	सिंगरौली	सिंगरौली	खजूरी	1880	4.000
36	सिंगरौली	सिंगरौली	औरगाई-1	1	4.000
37	सिंगरौली	सिंगरौली	औरगाई-2	1	4.000
38	सिंगरौली	सिंगरौली	हरहवा-3	412	4.000
39	सिंगरौली	सिंगरौली	पिपराकुरन्द-1	1	4.000
40	सिंगरौली	सिंगरौली	पिपराकुरन्द-2	1	4.000
41	सिंगरौली	सिंगरौली	हरहवा-4	413	5.000
42	सिंगरौली	सिंगरौली	कटौली-2	2490	3.000
					147.560

1	कुल चिन्हित खदानें	42
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल	147.560
4	निविदा हेतु निर्धारित खदानें	42
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर	1600000
5	निविदाकार मेसर्स/श्री सहकार ग्लोबल लिमिटेड	
6	पता- ऑफिस नं० 503, 5वीं मंजिल, वास्तु प्रेस्टीज, न्यू लिंक रोड, ऊपर तनिष्क शोरूम, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400053	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य	रु० 62,35,54,999/- (बासठ करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार नौ सौ निनियानवे)
8	जमा EMD राशि (ऑनलाईन/BG)	रु० 10,00,00,000/- BG (दस करोड़)
9	कुल सुरक्षा राशि	रु० 15,58,88,750/- (पन्द्रह करोड़ अनठावन लाख अठासी: हजार सात सौ पचास)
10	बिन्दु क्रमांक 10 राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण	EMD रु० 15,58,88,750/-22, 26., 28-12-2023 (पन्द्रह करोड़ अनठावन लाख अठासी: हजार सात सौ पचास)
11	प्रथम माह के किश्त की राशि (माह सितम्बर 10%)	रु० 6,23,55,500/-


प्रबंध संचालक

कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र जियावन, जनपद पंचायत देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

दिनांक	प्रस्ताव	कार्यवाही विवरण	निर्णय
26/01/2018	ग्राम जियावन, तहसील देवसर, ख.क्र. 01 रकवा 4.00 हे. क्षेत्र पर रेत खनिज की खदान स्वीकृत/संचालित किये जाने बावत् अनापत्ति/अभिमत प्रदाय करने के सम्बन्ध में।	दिनांक 26.01.2018 को ग्राम सभा की बैठक सरपंच श्री मारकण्डे प्रसाद कोल की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन जियावन में समय 10.00 बजे दिन आयोजित की गई। बैठक में लिये गये प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने एवं ग्राम पंचायत में चल रहे शासकीय निर्माण कार्यों हेतु रेत की आवश्यकता है। अतः ग्राम जियावन, तहसील देवसर, ख.क्र. 01 रकवा 4.00 हे. क्षेत्र पर रेत खनिज की खदान स्वीकृत/संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति/अभिमत प्रदाय करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। बैठक में चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित रकवा, ग्राम जियावन, तहसील देवसर, ख.क्र. 01 रकवा 4.00 हे. क्षेत्र पर रेत खनिज की खदान स्वीकृत/संचालित स्वीकृति होने से ग्राम पंचायत को राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। अतः आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में अनापत्ति/अभिमत प्रदाय किया जा सकता है। तदनुसार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जियावन द्वारा सर्व सम्मति से ग्राम जियावन, तहसील देवसर, ख.क्र. 01 रकवा 4.00 हे. क्षेत्र पर रेत खनिज की खदान स्वीकृत/संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	उपरोक्त प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सरपंच
ग्राम पंचायत क्षेत्र जियावन
जनपद पंचायत देवसर

कनि. प्रबंधक (फील्ड)
खनिज निगम

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
YODHA UMARE
Mining Corporation Bhopal -462011

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/431685/2023 dated 31-Jul-2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001MP116755
2. File No.	10341/2023
3. Project Type	New
4. Category	B
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	Jiawan sand quarry
7. Name of Company/Organization	YODHA UMARE
8. Location of Project	MADHYA PRADESH
9. TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 04/10/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. . SIA/MP/MIN/431685/2023 - प्रकरण क्र. 10341/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्धासिंह उमरे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 471, ग्राम जियावन, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/431685/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 02.08.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण पत्र क्र. 822 दिनांक 11.03.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 24°19'10.31" से 24°19'39.03" और देशांतर 82°16'23.85" से 82°16'20.51" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।


अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. , अधिकृत व्यक्ति श्री योद्धासिंह उमरे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 471, ग्राम जियावन, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 1.60 हेक्टेयर को "नो माइनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.40 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माइनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन

योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाय
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



11. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
14. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन. जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
18. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
21. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
23. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा. और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



25. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
28. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
31. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
34. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
35. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.



38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
45. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
46. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान कैपिटल राशि रु. 06.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.92 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है ।
48. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.27 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे ।)

सी.ई.आर.मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि)रु.में(
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र, जियावान की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	27,000
अग्रलिखित धनराशि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जियावान के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	1,00,000
कुल	1,27,000

49. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	3128

	6 पंक्तियों में)	4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	820
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कछवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	342
2	ग्राम जियावन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बे ल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	460
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गॉर्ड के साथ)	50
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृपको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । ✓ रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।			4800
योग			

50. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
51. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस् लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये ।
52. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये ।
53. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड सिप्रंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के सिप्रंकलर की व्यवस्था की जाये । पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये ।
54. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा



55. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
56. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
57. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
58. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला धनालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।
59. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू-संदर्भित किया जाये।
60. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।
61. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
62. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।
63. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
64. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
65. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।
66. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।
67. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
68. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।
69. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये।

Ar

70. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।
71. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्डे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
72. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
73. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभागीय स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
74. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
75. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
76. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख-रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
77. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगोटिव उपायों का पालन करेगा।
78. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
79. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबन्ध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :

- खदान के मालिक का नाम, संपर्क विवरण आदि।
- परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
- खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
- माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
- पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाइज्ड)।

80. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

- i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
- ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
- iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।



- iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
 - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
 - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
 - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
 - viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
 - ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।
81. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
 82. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
 83. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
 84. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
 85. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
 86. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
 87. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियों।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर


- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई क्षतिवदम ततममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन-क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्ब पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (टुरबिडिटी), वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जाये।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।




11. आसपास की बरितियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गोंव की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


 (मुजीबुरहमान खान)
 सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल -
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


 (राजेश मिश्रा)
 कार्यपालन यंत्री

MINING PLAN

WITH
PROGRESSIVE MINE CLOSURE PLAN

Submitted Under Rules of 42 of MPMMR, 1996 & under sand rule 2010 as per BMMG
Guide lines 2016 & Enforcement & Monitoring Guide lines for Sand Mining 2020)

OF

JIAWAN SAND DEPOSIT


VILLAGE- JIAWAN, TEHSIL-DEOSAR

DISTT- SINGHRAULI, MADHYA PRADESH

LEASE AREA: 4.00HA. (KHASRA NO. 1)

Mining Plan Period - 5 Years

(The specific year will be effected from the date of execution of lease deed)



APPLICANT

THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORPORATION LTD.

PARYAWAS BHAWAN, BLOCK NO. 1(A)

SECOND FLOOR, JAIL ROAD,

ARERA HILLS, BHOPAL

कलेक्टर द्वारा
अनुमोदित

प्रति निदेशिका
(सं. 10/2023)

जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

Mining Inspector
Distt. Singrauli (M.P.)

Prepared By:

PANKAJ PANDE

RQP/DGMMP/44/2013

Validity up to 20-05-2023.

PROGRESSIVE MINE CLOSURE PLAN

A. Introduction:

Name of applicant

The M.P. State Mining Corporation Ltd.
Paryavas Bhawan, Block no 1(A)
Second Floor, Jail Road,

B. Location

Arcer Hills, Bhopal, M.P. - 262011

Village- Jiawan is located in Tehsil- Deosar, Distt- Singrauli, Madhya Pradesh, India. The location plan is enclosed as Plate no.1.

C. Extent of Lease area:

4.0Ha.

D. Type of lease area:

Total area is barren land & it is free from forest land

E. Present land use pattern:

The existing land use is given below:

S. No.	Land use	Agriculture land (Ha)	Forest Land (Ha)	State Govt. Barren land (Ha)	Grazing Land (Ha)
1	Mining pits	-	-	-	-
2	Quarry	-	-	-	-
3	Approach Road	-	-	-	-
4	Dumps	-	-	-	-
5	Office, Resht Shelter etc.	-	-	-	-
6	Balance undisturbed land	-	-	4.00	-
	Total	-	-	4.00	-

F. Method of mining and mineral processing:

Proposed Method of Mining:

It shall be opencast manual/semi-mechanized mine. RBM shall be scrapped manually with conventional hand tools. The height of benches shall be kept 2.0m with face slope 18deg & over all pit slope shall be maintained less than 16°. Mining shall be carried out without adoption of drilling & blasting.

The working period for mining will be restricted to 270days (Nine months) & during three months of rainy season, no mining shall be undertaken.

No mining & allied activities shall be carried out within 7.5mt. barrier zone. Ultimate depth of pit shall be kept 2.0m from the surface.

The salient feature of proposed method of mining is as below:



1. No OB/Waste material will be produced.
2. Roads will be properly made and sprayed by water for suppression of dust.

CHAPTER-I
INTRODUCTION

1.0 GENERAL:

a)	Name of the Applicant with Complete Address	The M.P. State Mining Corporation Paryawaran Bhiawan, Block no 1(A) Second Floor, Jail Road, Aera Hills, Bhopal, M.P. - 262011.
	Village	Jiawan
	Tehsil	Deosar
	District	Singrauli
	State	M.P.
	Pin code	
b)	Status of the Applicant	Under taking of State Govt. M.P.
c)	Mineral(s) which are occurring in area and which the applicant intends to Mine	River Sand
d)	Period for which permission for sand excavation is to be granted	5 Years (from date of agreement)
e)	Name and address of the Recognized Qualified Person (RQP) preparing mining	Mr. Pankaj pande M/s Sahaj Sahyog Consultants (P) Ltd., C-103, Sec.-B, Aliganj, Lucknow-226024 Phone No. 0522-4011565 (O) 0522-2759842 (R) Cell No. 9415102339 E-mail ID: sahajsahyog990@gmail.com
f)	Registration No. of Recognized Qualified Person or authorization of the State Government	Registration No. RQP/DGMMP/44/2013 Valid upto : 20-05-2023 Copy of RQP registration is enclosed (Annexure no.01).
h)	Date & order of latter of content	रत/RQP-10/2023/687 dated 31-03-2025 copy of order copy is enclosed (Annexure No. 2)
i)	Demarcated khasra map of applied area	Demarcated khasra map of area showing boundary pillars are enclosed (Annexure No.3) & Panchshala (Khatoni) of area is enclosed (Annex. No. 4)



3.0 MINE DETAILS:

Topography:


Topography the applied area is Mahan River bed area and the topography is subject to change with flood level and excavation done in general the area has highest level of 279mRL while lowest one is 277mRL thus average 2m is the general elevation difference. In general the Mahan River is affluent river and majority area is dry in pre monsoon period. The river flow from towards north west direction. .

Regional geology:

Singrauli area is the northern most part of the Son-Mayaradi master Gondwana basin, which stretches from the east coast to the heart of peninsular India. This area occupies the junctional region between the east-west trending Damodar-Koel_Tatapani garben and the NW-SW trending rift zone4 of the Son-Mayaradi valley. Thus, the stratigraphic and tectonic framework of the Singrauli basin shows characters of both Damodar valley and dthe Son valley Gondwana basins. The statigraphic sequence of Singrauli Area bears a broad resemblance to that of the adjoining Gondwana basins of Tatapani, Hutar and Karanpura. On the other hand, the sedimentary lithic pile shows a preponderance of sandstone dominated cycles typical of the Son Valley basin belt. Further the Gondwana sediments in Singrauli were deposited by the northwesterly flowing fluvial network characteristics of the Son valley basins.

The northern limit of the Singrauli basin is defined by a prominent east-west trending boundary fault, which is probably on offshoot of the Son-Narmada Sarai lineament. Along the eastern boundary of the area, the Talchir sediments rest unconformably on the Pre-Cambrian rocks. Towards west, the upper Gondwana sediments are juxtaposed against the Bijawar Group of Proterozoic period.

GENERALIZED STRATIGRAPHIC SUCCESSION



Age	Group	Formation	Lithological
Cretaceous		Intrusive	Dolerite dykes & sills, or Lawa Flow
Upper Triassic	Upper Gondwana	Mahadeva	Coarse grained ferruginous sandstone with bands of shale, clay and conglomerate
		Panchet	White, greenish white and pink micaceous, medium to coarse grained sandstone with red beds, greenish brown silty shales and conglomerates.

Upper Permian	Lower Gondawana	Raniganj (215-403m)	Fine grained sandstones and shales with coal seams
Middle Permian		Barren Measures (125-300)	Very coarse grained, ferruginous, sandstone, green clays & shales
Lower Permian		Barakar	Fine to coarse grained sandstones, shales, clays & coal seams.
Upper carboniferous		Talchir	Tillite, sandstones, siltstones, needle shales etc.
-----Unconformity-----			
Pre-Cambrian		Precambrian	Phyllites, quartzites, schists and gneisses.

Surface Geological plan on the scale of 1:4,000 with contour interval of 1m is shown on plate no. 3.

EXPLORATION:

Mining of river bed is being done since long time therefore no specific method of exploration is required as the sand, deposited all along the bed and its paleochannels, which is very well exposed on the surface. The minerals excavated from the river bed will be replenished gradually during the monsoon season every year. And the area pertaining to paleochannels of the river will be leveled & restored back. Adequate quantity of sand in reserves is available for meeting consumer demand.

Geological Sections:

In order to know the trend of deposition of the bed material two sections across the river bed were drawn on the recorded RL of the bed. (Refer plate No.4). The sectional area cannot be practically determined due to nonexistence of apparent bedding plane in the river profile thus section drawn does not support the calculation of reserves.



METHOD OF ESTIMATION OF RESERVE:

Ground survey for feasibility of minor mineral blocks has been conducted by the Department of Geology & Mining which formed the basis for Auctioning of minor mineral block keeping in consideration the mode of deposition & occurrence of minor mineral, the entire reserves in the block has been considered as of proved category. The reserves has been calculated volumetrically with strike influence of mineralization in the area of block by multiplying the following parameters:

- a) Thickness of the bed upto depth of 2.0m from river bed surface has been taken for reserves estimation.

Details of UNFC classification.

UNFC is a three digit code based system, the economic viability axis representing the first digit, the feasibility axis the second digit and the geological axis the third digit. Each digit provided. Codes 1, 2 and 3 in decreasing order. The highest category of resources under UNFC system has code (111) and for lowest category the code is (334).

Code (111): (Proved Mineral reserves) This code is provided for the economically mineable part of the measured mineral resources. The proved mineral reserves has a high level of confidence at the time of reporting that extraction is justified.

Code (121 & 122): (Probable Mineral Reserves) This code is provided for the economically mineable part of the indicating measured mineral resources. A probable mineral reserve has a lower level of confidence than proved mineral reserves.

Code (211)(Feasibility Mineral Resources): The part of the measured mineral resources (proved category) which as per feasibility study has not found economically mineable.

Code (222)(Pre-Feasibility Mineral Resources): The part of the measured mineral resources (proved category) which as per feasibility study has not found economically mineable.

Code (333):(Inferred Mineral Resources) An Inferred Mineral Resources is that part of a mineral resources for which tonnage, Grade and mineral contents can be estimated with low level of confidence. An Inferred Mineral Resources has a lower level of confidence than that applied to indicate mineral resources.

Geological Reserves.

Area of Minor Mineral Block (in hectares)	Area of Minor Mineral Block (in Sqm)	Total Quantity (Cum)=Area x Depth x (UNFC code 111) A	Net Quantity of mineral in the block (UNFC code 111) (100%) (cum)	Mineable Mineral potential (In cum) 60% of total mineral potential
4.0	40,000	80,000	80,000	48,000

Code 111:(Proved Mineral Reserves) The mineable area comes out 40000m². The depth of mining has been kept 2.0m, thus total quantities of mineral comes out 80000cum. As per SSMMG guide lines 2016, the mineable mineral potential shall be 60% of total mineral potential (i.e. 48000cum).



CHAPTER-4

MINING:

Briefly describe the existing/proposed method for developing/working the deposit with all design parameters:

Existing Method of mining:

It is a fresh grant case of mining lease & at present no mining is being carried with the lease area.

b) Proposed method of mining:

It shall be opencast manual/semi-mechanized mine. The height of benches shall be kept 2.0m with face slope 18deg & over all pit slope shall be maintained less than 16°. Mining shall be carried out without adoption of drilling & blasting.


The working period for mining will be restricted to 270days (Nine months) & during three months of rainy season, no mining shall be undertaken.

The working period for mining will be restricted to 270days (Nine months) & during three months of rainy season, no mining shall be undertaken.

No mining & allied activities shall be carried out within 7.5mt. barrier zone. Ultimate depth of pit shall be kept 2.0m from the surface.

The salient feature of proposed method of mining is as below:

1. No OB/Waste material will be produced.
2. Roads will be properly made and sprayed by water for suppression of dust.
3. Roads in the lease area for the movement of loaded trippers/trucks will not have slopes more than 1 in 20.
4. Extraction activities will start in the block from the upstream side to downstream side. This will not obstruct the movement of water, if any, during monsoon period in the river course.
5. Removal of material upto bed level is essential to control river flow in its central part to check the bank cutting.
6. Sustainable mining is extremely important to promote environment protection, hydrological & social effects. This should be carried out in following:
 - To ensure adequate quantity of aggregation.



- > To ensure there is no obstruction of river flow.
 - > To maintained the river equilibrium with the application of transport & quantity to be extracted.
 - > The sustainable sand mining management guidelines (SSMMG)-2016 & enforcement & monitoring guide lines for sand mining January 2020. shall be strictly adhered.
9. Sediment rating curve shall be developed & checked against the extracted volume of river bed material.
10. Minor Mineral shall be extracted across the entire active channel during the dry season.

Description for the mining layout.

Consider 270 working days in a year,
 Production per day=178Cum/day
 Proposed bench height=2.0
 Volume to be broken per day=178Cum

$$\begin{aligned} \text{Area to be broken per day} &= \text{Volume /Bench Height} \\ &= 178/2 \\ &= 89\text{Sqm} \end{aligned}$$

Indicate quantum of development of production expected as in table below:

Year	Over burden (cum)	Total mineral potential (Cum)	Sub grade mineral	Mineral reject
I st	-	48,000	-	-
II nd	-	48,000	-	-
III rd	-	48,000	-	-
IV th	-	48,000	-	-
V th	-	48,000	-	-
Total	-	2,40,000	-	-

Mining Inspector
 Distt. Singrauli (M.P.)

c) **Proposed year wise development for five years.**

Applied area forms flood plain of Mahan River and remains submerged under river water nearly for 90 days in a year. As a result, the working period in a year is reduced to about 270 days. It is envisaged that excavated pit in a year will be restored to its original topography in the preceding year due to the position of suspension by water action of consecutive flood during monsoon periods. The harvesting of the river born material deposit in the block proposed to be made on rotation basis from the surface area up to the depth of 3.0meter. During monsoon period that is month of July to September every year for the five consecutive years, the block in the riverbed accordingly shall be reequip with respect to river born material thereby rejuvenating to its maximum original topography. The river bed material is exposed and does not have any o





Consent Order

Bhakar
Naugarh, Singrauli Pin-486887
Singrauli
Tele : 09752497772

RED-SMALL

CCA-Fresh

CONSENT NO: ***

PCB ID: 157992

ANNEXURE-8

Outward No:14102,12/10/2023

Consent No:AW-116518

To,
The Occupier,
M/s. M.P State Mining Corporation Ltd (Jiawan Sand Quarry 4.0 Ha),
Khasra No. 1, Village- Jiawan,
Tehsil- Deosar, District- Singrauli, (M.P.)

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1312388 Dt. 11/10/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **10/10/2028**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- Location: Khasra No. 1, Village- Jiawan, Tehsil- Deosar, District- Singrauli, (M.P.)
- Mining Lease Area: 4.0 Hectare
- Product & Production Capacity:

Product	CCA Qty / year
SAND	48000.0 MT3

- Note:- 1) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, OA 09/2018 on dated 12/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
- Mine Management shall ensure that the mine is operated with valid mining lease & as per the provisions made by you in the mining plan approved by Collector Distt Singrauli and in compliance of the conditions laid by SEIAA MP in EC granted.
 - Quarry contractor shall install permanent type demarcation pillars to represent quarry lease boundary & sign Board with quarry details and mining should be done as per mine plan, EC and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for sand mining, 2020

The Validity of the consent is up to **10/10/2028** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office **6 months before expiry of the consent/Authorization**. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Digitally signed by MUKESH SHRIVASTAVA, E.E. Date: 12/10/2023 05:35:19 PM

Signature Not Verified
Digitally Signed by : MUKESH
SHRIVASTAVA, E.E.
Date: 12/10/2023 05:35:19 PM

MUKESH SHRIVASTAVA
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

TPAV # H85LS45SMX

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

- The daily quantity of trade effluent of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage of the unit shall not exceed 0.000 KL/day
- Trade Effluent Treatment:- The applicant shall operate and maintain effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD ₅ Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

- Sewage Treatment :- The applicant shall operate and maintain sewage treatment facility to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
fecal coliform	Not exceed	1000 MPN/100 ml

- The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. **Hence zero discharge condition** shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

- Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

Sr	Water Code (Qty in KLD)	WC : 6.710	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	1.670	1.330	Tankers	Driver & Labour Drinking & Domestic Use
2	Dust Suppression	0.460	0.460	Tankers	Dust Suppression
3	Plantation / Horticulture	2.910	2.910	Tankers	Green Belt/ Plantation

- Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

- All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

- The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

- Compilation of Monitoring data-

- Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

- Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

- The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

Consent No:AW-116518

Recording of Monitoring Activities & Results-

The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc	Sale to authorized party/As Per CPCB MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. Industry shall install separate electric metering arrangement for running of pollution control devices and this arrangement shall be made in such fashion that any non functioning of pollution control devices shall immediately stop electric supply to the production and shall remain tripped till such time unless the pollution control device/devices are made functional. The record of electricity consumption for running of pollution control equipment shall be maintained and submitted to the Board every month

6. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

7. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

8. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

9. The industry/unit shall establish a separate environmental cell, headed by senior officer of the unit for reporting the environmental compliances. The industry/ Unit shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.

10. Industry shall obtain membership of Emergency Response Center of the Board if needed.

11. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

12. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

- Violation of any terms and conditions of this Consent.
- Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
- A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

13. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.




Consent
Order

Bhaskar
Naugarh, Singrauli Pin-486887
Singrauli
Tele : 09752497772

14. Mine management shall submit the amended Environmental clearance within 15 days.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

 eSign
Seeding from UIDAI
SERVER

Digitally Sign with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # H85LS45SMX



MUKESH SHRIVASTAVA
Regional Officer

Consent No:AW-116518

ANNEXURE -9(A)

Admin Panel

Home > Mine Wise e-TP Report > List

Search Data

Sand Mining

Dashboard

Tender year January-2025 - Januar ▼ Jyawan

01-01-2024 31-12-2024 Search  

Masters

MINE WISE E-TP REPORT

#	District Name	Package Name	Mine Name	Mine Mapped (1st Time)	Khasra No.	Rakwa (Hec.)	MDO Firm Name	Package offset Quantity (Cu. M.)	Tender Award Cost (Rs.)	Validity of Mine	Minimum Approved Quantity of Mine as Per Regulatory Compliance (Cu. M.)	Panchayat Lifted Quantity (Cu. M.)	Number of e-TP	Sand Consumed Quantity Sales (Cu. M.)	Sand Consumed Quantity Self Stock (Cu. M.)	Sand Consumed Quantity Private Stockist (Cu. M.)	Total Sand Consumed Quantity (Cu. M.)
1	Singrauli	SINGRAULI (SGR_P_002)	Jyawan (SGR_M_047)	12-01-2024	'565'	4	SAHAKAR GLOBAL LIMITED (CON0124121537285)	1,600,000.00	623,554,999.00	11-10-2025	96,000.00	0.00	3,587	47,037.33	12,233.57	0.00	59,270.90

[Wallet History](#)
[Package Details](#)
[Minewise Stock Detail](#)

ANNEXURE-9(B)

Search by State

Search
Sand Mine

MINORITY/TOR_P_00217 TEN

Tender year January-2025 - January

Jyawan

01-01-2025

15-06-2025

Search

Masters

MINE WISE E-TP REPORT


#	District Name	Package Name	Mine Name	Mine Mapped (1st Time)	Khasra No.	Rakwa (Hec.)	MDO Firm Name	Package offset Quantity (Cu. M.)	Tender Award Cost (Rs.)	Validity of Mine	Minimum Approved Quantity of Mine as Per Regulatory Compliance (Cu. M.)	Panchayat Lifted Quantity (Cu. M.)	Number of e-TP	Sand Consumed Quantity Sales (Cu. M.)	Sand Consumed Quantity Self Stock (Cu. M.)	Sand Consumed Quantity Private Stockist (Cu. M.)	Total Sand Consumed Quantity (Cu. M.)
1	Singrauli	SINGRAULI (SGR_P_002)	Jyawan (SGR_M_047)	12-01-2024	565	4	SAHAKAR GLOBAL LIMITED (CON0124121537285)	1,600,000.00	623,554,999.00	11-10-2025	96,000.00	0.00	1,058	17,055.98	0.00	0.00	17,055.98

- Wallet History
- Package Details
- Mine wise Stock Detail

Attendance Sheet

Joint Committee Visit NGT Case No. 47/2025

(Ambikesh Diwedi Vs State of Madhya Pradesh & Ors.)

S. No.	Name & Post of the Officer	Name of Department	Contact No:	Signature
1	Shri Akhilesh Kumar Singh, SDM, Deosar,	Revenue (Representative of Collector)	6266755475	
2	Miss Akanksha Patel, Mining Officer, District-Singrauli (M.P.)	Mining Department (Representative of Collector)	9977504504	
3	Shri Sanjeev Kumar Mehra, Regional Officer	MPPCB, Singrauli (M.P.)	9893074407	








Date: 10-06-2025

Attendance Sheet


Joint Committee Visit NGT Case No. 47/2025

(Ambikesh Diwedi Vs State of Madhya Pradesh & Ors.)


Members of other Department present during visit

S. No.	Name & Post of the Officer	Name of Department	Contact No.	Signature
1	Dr. Vidyakant Givati	Mining Dept.	9165233233	
2	Kapil muni Shukla	Mining -	9425190883	
3	Badeepsa	Gen N.T.	9406712444	
4	Santosh Koni CDED	MPPCB, Singrauli	9399815865	
(5)	Roshanlal Tripathi	MPHG	9179334260	
(6)	Ram Singh	MPHG	7879878989	
(7)	Kunjabihari Singh	MPHG	9165340527	
(8)	Brijendra Pandey	MPHG	9993467234	


Date: 10-06-2025



Photographs of the fish species observed during the inspection on dated 10.06.2025



Photographs taken during joint inspection on date 10.06.2025



Photographs taken during joint inspection on date 10.06.2025



Photographs taken during joint inspection on date 10.06.2025

Joint Committee Report in OA no. 47/2025

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Tue, Jun 24, 2025 02:55 PM
Subject : Joint Committee Report in OA no. 47/2025  1 attachment
To : tigeraug15 <tigeraug15@gmail.com>
Cc : romppcb sgrl <romppcb.sgrl@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, mpseiaa <mpseiaa@gmail.com>, cpcb bhopal <cpcb.bhopal@gmail.com>, M P State Mining Corp Bhopal <info.mpsmc@mp.gov.in>, Shri Chandra Shekhar Shukla <dmsingrauli@mp.gov.in>

Sir/Madam

Please find enclosed the joint committee report in the matter of Original Application no. 47/2025 (CZ) **Ambikesh Dwivedi vs State of Madhya Pradesh & Ors.** submitted in compliance of order dated 23/04/2025. This mail may be treated as proof of service.

Regards

LEGAL CELL
MP PCB

 **Joint Committee Report OA 47-2025.pdf**
12 MB
